राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवांए, राज0 जयपुर

क्रमांकः–ई–18 / एम / डीपीसी / कास / 09 / दिनांकः–

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई–18 / एम / डीपीसी / कास / 09 / 1095 दिनांक 2.6.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री ओमप्रकाश	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी झुन्झुनूं	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं
2	श्री अतेन्द्र कुमार शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर
3	श्री बनवारीलाल स्वामी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोविन्दगढ,जयपुर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कोटपुतली जयपुर

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 18.6.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोटः– जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये । सूचना के अभाव में यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में किसी कारण वश राज्य सेवा में नहीं हो, निलम्बित हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम विलोपित समझा जाये।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1) / डीओपी / ए–II / 95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकरियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।

अति0निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

कमांक:–ई–18/एम/डीपीसी/कास/09/1098 दिनांक:– 2/6/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0

2– समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।

3– आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर